परिपत्र सं. 259/05/2026- जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या-16039, कर्तव्य भवन
नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: सीजीएसटीअधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) या धारा 112 की उप-धारा (8) के तहत पूर्व -जमा राशिके तौर पर जमा की गई राशि से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 107 की उप-धारा (6) या धारा 112 की उप-धारा (8) के तहत अपील दायर करते समय, अपील को स्वीकार करने के लिए पूर्व- जमा के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होगी, इस बारे में व्यापार और उद्योग जगत से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।यह दर्शाया गया है कि सीजीएसटी अधिनियम के तहत पूर्व-जमा राशि भुगतान के संबंध में अलग-अलग व्याख्याएँ की जा रही है।इस विसंगति के कारण हितधारकों के बीच भ्रम पैदा हुआ है और मुकदमों में वृद्धि हुई है, जिससे पूर्व-जमा करने के लिए सही प्रक्रियात्मक और अनुपालनात्मक आवश्यकताओं के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है।

2. क्षेत्र संरचनाओं में कानून के प्रावधानों को लागू करने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटीअधिनियमकी धारा 168 की उप-धारा (1) के तहत अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देता है: -

क्र. सं.	**मुद्दा**	**स्पष्टीकरण**
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और 112 के तहत "स्वीकृत राशि" और "विवादित कर"क्या हैं?	(i) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की स्वीकृत राशि का पूर्ण भुगतान करने तथा विवादित कर का 10% जमा करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की स्वीकृत राशि का पूर्ण भुगतान करने तथा विवादित कर का 10% जमा करने का प्रावधान है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए पहले भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होगा। (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि "स्वीकृत राशि" का तात्पर्य विवादित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या शास्ति के उस हिस्से से है, जिसे करदाता भुगतान योग्य मानता है और जिसे वह अपील के ज़रिए चुनौती नहीं देना चाहता। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107

		और 112 के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, अपील दायर करने से पहले इस राशि का पूरा भुगतान किया जाना अनिवार्य है। (iii) करदाता द्वारा विवादित देनदारी का शेषहिस्सा, जिसके संबंध में अपील दायर करने की मंशा है, उसे "विवादित कर" माना जाएगा। साथ ही, धारा 107 की उप-धारा (6) और धारा 112 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत अनिवार्य "विवादित कर की शेष राशि के 10% के बराबर राशि" ,जिसे "पूर्व-जमा" कहा जाता है,की गणना इसी विवादित कर वाले हिस्से के आधार पर की जाएगी। (iv) इस प्रकार, किसी राशि को स्वीकृत राशि माना जाए या विवादित, इसका निर्णय अपील दायर करते समय करदाता को करना होता है और इसे एपीएल-01 की तालिका-14 और एपीएल -05 की तालिका -20 में दर्ज किया जाता है।
2.	यदि अपीलीय प्राधिकरण कर देयता में बदलाव करती है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 112 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील स्वीकार किए जाने के लिए कितना पूर्व-जमा राशि का भुगतान करना होगा?	(i) सीजीएसटीअधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील स्वीकार किए जाने के लिए, अपीलकर्ता को विवादित आदेश से जुड़ी कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और शास्ति के स्वीकृत हिस्से का पूरा भुगतान करना होगा । इसके

		अलावा, उसे विवादित कर की शेष राशि का 10% भी जमा करना होगा, यह राशि अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील स्वीकार कराने के लिए जमा की गई राशि के अतिरिक्त होगी। (ii) इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्थिति में, विवादित कर की शेष राशि का 10% हिस्सा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा तय की गई देयता के आधार पर गिना जाएगा, जिस पर अपीलकर्ता को आपत्ति है।
3.	जब अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण कोई आदेश पारित करे, तो क्या उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलकर्ता कि जमा की गई पूर्व-जमा राशि की वापसी की जानी चाहिए?	जब अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उप-धारा (6) या धारा 112 की उप-धारा (8) के तहत जमा की गई राशि को अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी आदेश के बाद वापस करना हो, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आदेश में यह स्पष्ट तौर पर बताना ज़रूरी नहीं है कि पूर्व-जमा राशि वापस किया जाना है।इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आदेश मिलने पर, पूर्व -जमा राशि के लिए रिफ़ंड का दावा फ़ॉर्म जीएसटी आरएफ़डी -01 के क्र.सं. 7 अर्थात'आदेश के आधार पर'दायर करना होगा।
4.	क्या कोई करदातापूर्व-जमा राशिके रिफ़ंड का हक़दार है, जब उसे अपीलीय	(i) यह देखा गया है कि उन सभी मामलों में, जहाँ अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय

	प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरणसे अनुकूल निर्णय मिलता है, लेकिन विभाग उस आदेश के ख़िलाफ़ आगे अपील करने पर विचार कर रहा है?	न्यायाधिकरण अपीलकर्ता के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हैं और अपीलकर्ता रिफ़ंड के लिए आवेदन करता है, तो वह पूर्व-जमा राशि के तौर पर जमा की गई राशि का रिफ़ंड पाने का हक़दार हो जाता है। (ii) अगर विभाग अपीलकर्ता के पक्ष में आए अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का विचार करता है, तो भी पूर्व-जमा का रिफंड देना होगा, जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय उस आदेश पर रोक न लगा दे। (iii) इसलिए, केवल इस आधार पर पूर्व-जमा राशि का रिफ़ंड नहीं रोका जाना चाहिए कि विभाग अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने का इरादा रखता है या अपील दायर कर चुका है।
5.	अपीलीय न्यायाधिकरण से अपीलकर्ता के पक्ष में फ़ैसला आने के बाद, रिफ़ंड के उद्देश्य से पूर्व-जमा राशि के भुगतान की तारीख़ क्या मानीजाएगी, यदिअपीलीय प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील मंज़ूर कराने के लिए जमा की गई राशि का	(i) अपीलीय प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर पर अपील स्वीकार कराने के लिए अलग-अलग पूर्व-जमा राशि का भुगतान करना ज़रूरी है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 115 में यह प्रावधान है कि अगर किसी राशि को रिफंड करना हो, तो उस राशि के भुगतान की तारीख से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

	रिफ़ंड मिलना हो?	(ii) इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया है कि जहां अपील के दोनों स्तरों पर पूर्व-जमाराशि का भुगतानधारा 107 की उपधारा (6) के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष और धारा 112 की उपधारा (8) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्षकिया जाता है, ब्याज गणना के लिए भुगतान की तारीख प्रत्येक स्तर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी, जो कि उस वास्तविक तारीख के अनुरूप होगी जिस दिन संबंधित भुगतान किया गया था।
6.	जब अपीलीय न्यायाधिकरण किसी मामले को प्रतिप्रेषित करता है, तो अपील दायर करने के लिए जमा की गई पूर्व-जमा राशि की रिफ़ंड की प्रक्रिया क्या है?	(i) जिन मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण मामले को मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के पास वापस भेजता है, वहां अपीलकर्ता पूर्व-जमा राशि की वापसी का हकदार होगा, तथा यह राशि तय समय-सीमा के भीतर दी जाएगी। (ii) आंशिक प्रतिप्रेषण के मामलों में, जहाँ कर की मांग के एक हिस्से को बरकरार रखा जाता है, वहाँ पूर्व-जमा राशि का रिफ़ंड केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जायेगा कि राजस्व के पक्ष में पुष्टि की गई कर की मांग के अनुरूप राशि को लागू ब्याज के साथ, पूर्व-जमा राशि से वसूल या समायोजित कर लिया गया है, और इसके बाद ही शेष राशि करदाता को

		रिफ़ंड की जाएगी।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

4. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)